न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर (जिला–अजमेर)

पीठासीन अधिकारी डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 50 / 2018

उनवान

सहदेव पुत्र श्री रंगलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति पारी पत्नि स्व0 श्री कालू
2. स्रदारा पुत्र श्री कालू
3. हरि पुत्र श्री कालू
4. जयदेव पुत्र श्री कालू
5. नौसर पुत्री कालू
6. फूली पुत्री श्री कालू

   समस्त जाति गुर्जर निवासीगण गेल कॉलोनी के पास गुर्जर मोहल्ला रामनगरी माखुपुरा अजमेर

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

दिनांक 16.09.2019

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ग्राम माखुपुरा पटवार हल्का माखुपुरा भू–अभिलेख क्षेत्र परतपुरा तहसील व जिला अजमेर अवस्थित है जिसके हाल खसरा नम्बर 32 रकबा 0.23 हैक्टर, 72 / 2747 रकबा 0.04 हैक्टर, 73 रकबा 0.07 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.34 हैक्टर जो जमाबंदी से सिद्व है। उक्त आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रार्थी शांतिपूर्ण रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण के खेत हाल खसरा नम्बर 71 रकबा 0.10 हैक्टर प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 72 / 2747 की दक्षिणी सीमा से लगत हुए स्थित है । अप्रार्थीगण सक्षम तथा बाहुबली व्यक्ति है जो जबरन प्रार्थी के खातेदारी खेत में अतिक्रमण कर कब्जा करने का नाजायज प्रयास कर रहे है तथा अप्रार्थीगण ने अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 71 से लगते हुए प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 72 / 2747 में लगभग 15 फुट अन्दर घुसकर सीमा को खुर्द्व बुर्द्व करते हुए बदनियती पूर्वक प्रार्थी की कृषि भूमि को आर्थिक नुकसान पहुचाने की नियत से दिनांक 30.10.2018 को जबरन कांटो की वाड लगाकर कब्जा करने का प्रयास किया जिसका अप्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। यदि अप्रार्थीगण अपने इस कृत्य में सफल हो गए तो प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि से महरूम होना पडेगा जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में नही किया जा सकेगा। प्रार्थी द्वारा

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण के द्वारा किये गए अतिक्रमण का विरोध करने पर अप्रार्थीगण ने सर्वप्रथम सीमाज्ञान करवाने की बात कही लेकिन जब प्रार्थी ने अपने स्तर पर सीमाज्ञान किये जाने हेतु पटवारी महोदय को मौके पर बुलवाया तो अप्रार्थीगण सीमाज्ञान करने से इन्कार करते हुए मौके लगे पुराने सीमा के निशान/पत्थरों को उखाड कर फेक दिया तथा प्रार्थी को सम्पूर्ण खसरे से बेदाल करने की धमकी दी जिसरो उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष वास्ते सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ। अप्रार्थी द्वारा मौके पर सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न करने पर प्रार्थी द्वारा थानाधिकारी महोदय पुलिस थाना आदर्श नगर अजमेर के समक्ष एक शिकायत पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को पावन्द करने की कार्यवाही की जिस पर थानाधिकारी महोदय द्वारा न्यायालय के आदेश से सीमाज्ञान करवाये जाने की हिदायत दी। जिससे हव बिना सीमाकंन तथा पत्थरगढी कराये काश्त किया जाना संभव नही हो पा रहा है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ । अतः प्रार्थी की खातेदारी के खेत हाल खसरा नम्बर 72/2747 रकबा 0.04 हैक्टर का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी का आदेश प्रदान करावे नियमानुसार शुल्क प्रार्थी को जमा कराने का आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी संख्या 1 व 4 की ओर से अण्डर टेकिग अधिवक्ता द्वारा वकालातनाम/जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2,35, 6 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाह अमल में लाई गई।

तहसीलदार अजमेर के द्वारा लिखित जवाव प्रस्तुत किया । पेरोकार सरकार ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिक स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अजमेर को आदेशित किया जाता है कि वे ग्राम माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जमांबदी सवंत 2073 खसरा नम्बर 72/2747 रकबा 0.04, नियमानुसार शुल्क प्राप्त कर प्रार्थी की उपस्थिति में उक्त आराजी का नाप चोप कर पत्थरगढी करवाकर पालना प्रस्तुत करे ।

आदेश आज दिनांक 16.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया ।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner